

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/1000

दिनांक:-22-12-15


### आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर के अधीन उपलब्ध मध्यम आय-वर्ग-अ (जी+3) के 101, अल्प आय-वर्ग (जी+3) के 21 एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय-वर्ग (जी+3) के 6 अधिशेष प्लेट्स को मुख्य अभियन्ता-द्वितीय के प्रस्तावानुसार नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निरस्तारण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना/शहर का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	-	MIG-A (G+3)	8-T-31, 8-T-61, 8-T-78, 8-U-13, 8-U-14, 8-U-31, 8-U-32, 8-U-45, 8-U-47, 8-U-63, 8-U-64, 8-U-77, 8-U-79, 8-Q-11, 8-P-15, 8-P-7, 8-Q-13, 8-Q-5, 8-P-9, 8-P-10, 8-P-11, 8-P-14, 8-P-28, 8-P-29, 8-P-31, 8-P-35, 8-P-42, 8-P-44, 8-P-46, 8-P-47, 8-Q-14, , 8-Q-15, , 8-Q-16, , 8-Q-29, , 8-Q-45, 8-U-4, 8-U-11, 8-U-15, 8-U-22, 8-U-27, 8-U-28, 8-U-35, 8-U-36, 8-U-37, 8-U-39, 8-U-41, 8-U-46, 8-U-49, 8-U-51, 8-U-54, 8-T-11, 8-T-40, 8-T-43, 8-T-46, 8-T-47, 8-T-51, 8-T-72, 8-T-73, 8-T-74, 8-T-75, 8-T-77, 8-T-7, 8-T-62, 8-P-49, 8-P-51, 8-P-55, 8-P-60, 8-P-66, 8-P-67, 8-P-76, 8-Q-49, 8-Q-55, 8-Q-63, 8-Q-66, 8-Q-74, 8-Q-77, 8-Q-78, 8-R-6, 8-R-11, 8-R-12, 8-R-26, 8-R-21, 8-R-23, 8-R-31, 8-R-32, 8-S-1, 8-S-5, 8-S-6, 8-S-11, 8-S-20, 8-S-29, 8-S-31, 8-S-30, 8-P-80, 8-Q-59, 8-P-62, 8-Q-51, 8-Q-64, 8-P-77, 8-P-63, 8-P-56,	101
2	-	LIG (G+3)	1-H-5, 1-H-8, 1-H-16, 1-H-31, 1-H-38, 1-H-41, 1-H-43, 1-H-54, 1-I-28, 1-J-10, 1-J-24, 1-J-32, 1-K-10, 1-K-21, 1-K-29, 1-H-44, 9-S-25, 9-S-42, 9-S-44, 9-T-14, 9-T-16,	21
3	द्वारकापुरी	EWS (G+3)	1-F-13, 4-Y-23, 4-Y-137, 4-Y-140, 4-Y-156, 4-Y-211	66
	कुल			128


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर नीलामी से आवासों का निस्तारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त आवासों के आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों स्कीम में कोई भी अन्य आवास नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे। नीलामी में आवासों का निस्तारण किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह भी पूर्णतयः सुनिश्चित करे। नीलामी हेतु दर्शाये गये आवासों पर कोई न्यायिक विवाद नहीं है तथा उक्त आवासों का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त महोदय नोटशीट पैरा 28--29/एन पर अनुमोदित है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर, रा0आ0म0 जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, रा0आ0म0 जोधपुर।
8.  संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभाषी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक